

पत्र सं०: 2413 /सी0एम0यू0(डी0)/एस0ई0-1/2024

दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

**विषय:** विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के उपरान्त अवशेष सामग्री/स्कैप की मात्रा के निर्धारण एवं भण्डार में वापसी हेतु मानक प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०,

वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।

केस्को-कानपुर।

(md@puvvnl.in/md@mvvnl.org/md@dvvnl.org/md.pvvn.org/

mdkesco.kesco.org.in)

- उपरोक्त विषयक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के विरुद्ध अवशेष अप्रयुक्त नई सामग्री, साईट से निकाली गई पुरानी उपयोग योग्य सामग्री (Old & Used) एवं स्कैप के भण्डार में वापसी हेतु मानक प्रक्रिया निम्नवत् है:-
- विभिन्न योजनाओं में कराये जाने वाले कार्य दो प्रकार के होते हैं जिसमें सामग्री की वापसी हो सकती है, विवरण निम्नवत् है :-
  - नये कार्य यथा-नये उपकेन्द्र का निर्माण, नई लाइन का निर्माण, नये पावर/वितरण परिवर्तक की स्थापना इत्यादि, जिसमें मात्र अवशेष नई सामग्री की वापसी हो सकती है।
  - पुराने स्थापित प्रणाली से सम्बन्धित प्रणाली सुदृढीकरण/प्रतिस्थापना आदि के कार्य यथा पावर/वितरण परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, रिकन्डक्टिंग, यूटिलिटी शिफ्टिंग, ओवरहेड लाइन एल०टी० लाइन को ए०बी० केबिल से बदले जाने का कार्य इत्यादि। ऐसे कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त सामग्री वापसी की तीन स्थितियाँ हो सकती है:-
    - अवशेष नई सामग्री।
    - कार्य स्थल से प्राप्त/निकाली गई पुरानी उपयोग योग्य (Old & Used) सामग्री।
    - कार्य स्थल से प्राप्त/निकाली गई Scrap सामग्री।
- बिन्दु संख्या 2.1 एवं 2.2 में आच्छादित नये कार्यों एवं पुराने कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त एकजीक्यूटेड इस्टीमेट बनाया जायेगा।
  - तदनुसार प्राकलित सामग्री के सापेक्ष बची हुई नई सामग्री जिस रूप में प्राप्त की गयी है, उसी रूप में शत-प्रतिशत सामग्री भण्डार को वापस की जायेगी। (मानक प्रक्रिया/SOP बिन्दु संख्या 5.1)-संलग्नक-1
  - साइट से वापस प्राप्त पुरानी उपयोगी सामग्री (Old & Used) की वापसी बिन्दु संख्या 5.0 में निर्धारित मात्रा/भार के अनुसार, भण्डार को वापस की जायेगी। (मानक प्रक्रिया/SOP बिन्दु संख्या 5.2)-संलग्नक-2
  - साइट से वापस प्राप्त स्कैप सामग्री की वापसी बिन्दु संख्या 5.0 में निर्धारित मात्रा/भार के अनुसार, भण्डार को वापस की जायेगी। (मानक प्रक्रिया/SOP बिन्दु संख्या 5.3)-संलग्नक-3

4. किसी भी प्रांकलन (WBS) में सामग्री की भौतिक स्थिति के आधार पर उतारे जाने वाले सामग्री की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख यथा-लम्बाई, संख्या एवं भार के आधार पर किया जाए।
5. पूर्ण हो चुके कार्यों के उपरान्त साइट से वापस प्राप्त होने वाली उपरोक्त प्रस्तर 2.2 (b) व (c) से आच्छादित पुरानी एवं उपयोग में लिये जाने योग्य सामग्री अथवा स्क्रेप सामग्री के भण्डार में वापसी हेतु सामग्री की न्यूनतम मात्रा (प्रति यूनिट) का निर्धारण किये जाने हेतु तालिका निम्नवत् है:-

**5.1(a) कण्डक्टर, ए0बी0 केबिल, एक्स0एल0पी0ई0 केबिल से सम्बन्धित मात्रा का विवरण:-**

Sl. No.	Material Detail			Received Back Material (Kg. or Mtr)			
	Material Description	Content of Material	Standard Weight (Kg/Km)	Unit	Received back weight in % of Standard Weight	Received back Weight (Kg./Km) or in Mtr	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ACSR Weasel Conductor	Aluminium	128 Kg/Km	Kg.	@ 85%	108.8 Kg/Km	
2	ACSR Rabbit Conductor		214 Kg/Km	Kg.	@ 85%	181.9 Kg/Km	
3	ACSR Raccon Conductor		318 Kg/Km	Kg.	@ 85%	270.3 Kg/Km	
4	ACSR Dog Conductor		394 Kg/Km	Kg.	@ 85%	334.9 Kg/Km	
5	A.B.C. 3x50 Sqmm		650 Kg/Km	Kg.	@ 90%	585 Kg/Km	
6	A.B.C. 3x95 Sqmm		1180 Kg/Km	Kg.	@ 90%	1062 Kg/Km	
7	A.B.C. 3x120 Sqmm		1480 Kg/Km	Kg.	@ 90%	1332 Kg/Km	
8	Unarmoured LT XLPE Cable 1x240 Sqmm		840 Kg/Km	Kg.	@ 90%	756 Kg/Km	
9	Unarmoured LT XLPE Cable 1x400 Sqmm		1440 Kg/Km	Kg.	@ 90%	1296 Kg/Km	
10	Unarmoured LT XLPE Cable 1x630 Sqmm		2200 Kg/Km	Kg.	@ 90%	1980 Kg/Km	
11	Armoured LT XLPE Cable 3.5x70 Sqmm				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
12	Armoured LT XLPE Cable 3.5x150 Sqmm				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
13	Armoured LT XLPE Cable 3.5x240 Sqmm				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
14	Armoured LT XLPE Cable 3.5x400 Sqmm				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
15	HT Cable Al 3x70 Sq mm XLPE 11 KV				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
16	HT Cable Al 3x120 Sq mm XLPE 11 KV				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
17	HT Cable Al 3x185 Sq mm XLPE 11 KV				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
18	HT Cable Al 3x300 Sq mm XLPE 11 KV				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	
19	HT Cable Al 3x300 Sq mm XLPE 33 KV				Mtr.	Conveniently recovered from site & on actual basis 100 %	

- (b) पुराने उतारे गये कण्डक्टर कई टुकड़ों में साइट से निकाले जाते हैं जिनमें से पुराने कण्डक्टर के कुछ Strands नये लाइन के निर्माण में लाइन की बाइंडिंग में भी प्रयोग किये जाते हैं अतः कण्डक्टर के स्क्रेप भार को उसके मूल भार का 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

- (c) उदाहरणार्थ: 100 मीटर लम्बी ACSR डाग कन्डक्टर से निर्मित पुरानी एल0टी0 लाइन की रिकन्डक्टरिंग अथवा ए0बी0 केबल से बदलने पर भण्डार में वापसी हेतु पुराने कंडक्टर की मात्रा निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:-

क्र0 सं0	पूर्व में स्थापित एल0टी0 लाइन का विवरण	कंडक्टर की लम्बाई (मीटर में)	भण्डार में जमा की जाने वाली पुरानी सामग्री की मात्रा (किग्रा में)*
1	तीन फेज 4 वायर	400	133.96 (400X0.394X0.85)
2	दो फेज 3 वायर	300	100.47 (300X0.394X0.85)
3	एक फेज 2 वायर	200	66.98 (200X0.394X0.85)

\*ACSR डाग कन्डक्टर का मानक भार = 394 gram/meter.

- (d) प्राक्कलन तैयार करते समय लाइन की वास्तविक स्थिति (यथा तीन फेज 4 वायर, दो फेज 3 वायर, एक फेज 2 वायर ) दर्शायी जाये, जिससे तदानुसार Received back कंडक्टर का आकलन किया जा सके।
- (e) भूमिगत केबिलों के प्रकरण में केबिल को पूरी लम्बाई में खोदकर निकाला जाना सम्भव नहीं होता है अथवा Uneconomical होता है। अतः सुविधानुसार निकाले गये केबिल की वापसी प्राप्त लम्बाई के वास्तविक आधार पर निर्धारित की गई है।

5.2 (a) एस0टी0 पोल, जी0आई0 वायर, चैनल से सम्बन्धित मात्रा का विवरण:-

Sl. No.	Material Detail			Received Back Material (Kg. or No.)		
	Material Description	Content of Material	Standard Weight	Unit	Received back weight in % of Standard Weight	Received back in Kg/Pole or Kg/Km or in Nos.
1	2	3	4	5	6	7
1	ST Pole 9M SP 33	M.S. Steel	164 Kg/Pole	Kg.	@ 75%	123 Kg/Pole
2	ST Pole 9.5M SP 37		153 Kg/Pole	Kg.	@ 75%	115 Kg/Pole
3	ST Pole 11M IS 410 SP 55		227 Kg/Pole	Kg.	@ 75%	171 Kg/Pole
4	ST Pole 13 M IS 410 SP 72		343 Kg/Pole	Kg.	@ 75%	258 Kg/Pole
5	Stay wire GI (7/3.15 mm) 7/10 SWG		450 Kg/Km	Kg.	@ 80%	360 Kg/Km
6	GI wire 3.15 mm/10 SWG		60 Kg/Km	Kg.	@ 80%	48 Kg/Km
7	GI wire 4mm/8 SWG		100 Kg/Km	Kg.	@ 80%	80 Kg/Km
8	GI wire 5mm/6 SWG		150 Kg/Km	Kg.	@ 80%	120 Kg/Km
9	11 KV Cross Arm		As per actual	No.	@ 100%	As per actual in Nos
10	33 KV Cross Arm		As per actual	No.	@ 100%	As per actual in Nos
11	M.S. CHANNEL 100x50x5x2240 MM.		As per actual	No.	@ 100%	As per actual in Nos
12	M.S. CHANNEL 125x65x5x3200 MM.		As per actual	No.	@ 100%	As per actual in Nos
13	M.S. CHANNEL 50x50x6x1600 MM.		As per actual	No.	@ 100%	As per actual in Nos
14	M.S. ANGLE 65x65x6x2200 MM.		As per actual	No.	@ 100%	As per actual in Nos

- (b) स्टील पोल का 1/6 हिस्सा जमीन में Grout होता है और यही हिस्सा सबसे भारी होता है इसलिये कतिपय प्रकरणों में मात्र 5/6 हिस्सा ही Recoverable होता है अतः पोल का वापसी भार 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- (c) पुराने जी0आई0 वायर, स्टे वायर इत्यादि में जंग (Rusting) लगने के कारण स्क्रेप का वापसी भार 80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- (d) लाइनों में लगी हार्डवेयर सामग्री यथा-क्रासआर्म, क्लैम्प, एम0एस0 एंगल एवं एम0एस0 चैनल की वापसी संख्यानुसार निर्धारित की गई है।


5.3 (a) वी0सी0बी0, एनर्जी मीटर एवं सी0टी0पी0टी0 यूनिट से सम्बन्धित मात्रा का विवरण:-

Sl. No.	Material Detail			Received Back Material (in Nos.)			
	Material Description	Content of Material	Qty in Nos.	Unit	Received back weight in % of Standard Weight	Nos.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	11 KV VCB						
	Outgoing		1				
	i) Copper Bus Bar		Copper	3	No.	@ 100%	3
	ii) VCB (Trolley + Outer Trolley Box) Circuit Breaker Trolley		Mix Metal Item	1	No.	@ 100%	1
	iii) Energy Meter		Electronic Item	1	No.	@ 100%	1
	iv) Vaccum Interrupter		Mix Metal Item	1	No.	@ 100%	3
2	11 KV VCB						
	Incoming		1				
	i) Copper Bus Bar		Copper	3	No.	@ 100%	3
	ii) VCB (Trolley + PT + Outer Trolley Box) Circuit Breaker Trolley		Mix Metal Item	1	No.	@ 100%	1
	iii) Energy Meter		Electronic Item	1	No.	@ 100%	1
	iv) Vaccum Interrupter		Mix Metal Item	3	No.	@ 100%	3
3	11KV CT/PT Pole Mounted Unit		Mix Metal Item	1	No.	@ 100%	1
4	33KV CT/PT Pole Mounted Unit		Mix Metal Item	1	No.	@ 100%	1

(b) कॉपर बस बार सभी प्रकार के मीटर, 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 के मीटरिंग उपकरण यथा सी0टी0, पी0टी0, सी0टी0/पी0टी0 यूनिट एवं ब्रेकर की वापसी संख्या एवं भार (100 प्रतिशत) के आधार पर निर्धारित की गई है।

- उपरोक्त तालिकाओं में वर्णित सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य समतुल्य श्रेणी के सामग्रियों की वापसी, तालिकाओं में निर्धारित मानक के अनुरूप किया जायेगा।
- अतः अनुरोध है कि कार्यों के क्रियान्वयन के उपरान्त साईट से निकाली गई पुरानी उपयोग योग्य सामग्री (Old & Used) तथा स्क्रेप का निर्धारण ऊपरलिखित प्रक्रिया के अनुसार करते हुए अवशेष नई सामग्री, पुरानी उपयोग योग्य सामग्री (Old & Used) तथा स्क्रेप की भण्डार में वापसी किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

  
 (पंकज कुमार)  
 प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:—

- अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ। (chairman@uppcl.org)
- निदेशक (वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ (directord@uppcl.org)
- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ। (director\_p@uppcl.org)
- निदेशक (तकनीकी), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल एवं केस्को-कानपुर। (dirtech@puvvnl.in/dirtech@mrvnl.org/dirtech@dvvnl.org/dirtech@pvnvl.org/dirtech@kesco.org.in)
- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/भण्डार मण्डल/कार्यशाला मण्डल।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/भण्डार), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल एवं केस्को-कानपुर।

**विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यस्थल से प्राप्त की जाने वाली नई एवं पुरानी सामग्रियों को विभाग में जमा कराये जाने की मानक प्रक्रिया (SOP):-**

1. कार्यदायी संस्था द्वारा किसी स्वीकृत प्राकलन के सापेक्ष समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा कार्य का Executed Estimate तैयार किया जायेगा। इस Executed Estimate की तुलना ई0आर0पी0 पर प्राप्त सामग्रियों से कर कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की Consumption Booking सम्बन्धित प्रांकलन (WBS) के सापेक्ष की जायेगी। अवशेष नवीन तथा उतारी गई सामग्रियों का तदनुसार विवरण तैयार किया जायेगा।
2. अनुबन्धित कार्यों के निष्पादन किये जाने के दौरान कार्य स्थलों से प्राप्त की जाने वाली पुरानी सामग्रियों के पृथक्कीकरण का उत्तरदायित्व योजना के नोडल अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा। नोडल अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता (भण्डार) के साथ संयुक्त रूप से यह चिन्हित करना अनिवार्य होगा कि कार्यस्थल से प्राप्त की गयी सामग्रियों को विभाग द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है अथवा प्राप्त की गयी सामग्रियाँ उपयोग योग्य न होकर जर्जर अवस्था (Scrap) में है, उपरोक्तानुसार ही उक्त सामग्रियों को Old & Used अथवा Scrap के रूप में सम्बन्धित भण्डार में जमा किये जाने की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।
3. नोडल अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, भण्डार खण्ड को सम्बन्धित एक्जीक्यूटेड एस्टीमेट के सापेक्ष अवशेष नवीन सामग्री, उतारी गई पुनः प्रयोग योग्य सामग्री एवं स्कैप सामग्रियों की सूची (मात्रा/भार सहित) उपलब्ध करायी जाएगी।
4. प्रस्तावित अवशेष नवीन सामग्री, उतारी गई पुनः प्रयोग योग्य सामग्री एवं स्कैप सामग्रियों का सहायक अभियन्ता (भण्डार) द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित स्टोरकीपर/अवर अभियन्ता (भण्डार), द्वारा सामग्री वापस ली जाएगी।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त ई0आर0पी0 प्रणाली पर, सामग्री की वापसी निम्नवत की जाएगी:-
  - 5.1 अप्रयुक्त नयी सामग्री को भण्डार में जमा कराये जाने की प्रक्रिया:- नये कार्य/प्रणाली सुदृढीकरण/विस्थापना कार्यों हेतु सैप टी-कोड MIGO के Movement Type 351Q का प्रयोग करते हुए बची हुई नयी सामग्री को भण्डार में जमा कराया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया संलग्नक-1 पर अवस्थित है।
  - 5.2 साइट से निकाली गयी पुनः प्रयोग में लिए जाने योग्य सामग्री (Old&Used) को भण्डार में जमा कराये जाने की प्रक्रिया:-प्रणाली सुदृढीकरण/विस्थापना कार्यों हेतु सैप टी-कोड MIGO के Movement Type Z61Q एवं 351Q का प्रयोग करते हुए साइट से निकाली गयी पुनः प्रयोग में लिए जाने योग्य सामग्री (Old&Used) को भण्डार में जमा कराया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया संलग्नक-2 पर अवस्थित है।
  - 5.3 साइट से निकाली गयी स्कैप सामग्री को भण्डार में जमा कराये जाने की प्रक्रिया:-प्रणाली सुदृढीकरण/विस्थापना कार्यों हेतु सैप टी-कोड MIGO के Movement Type Z52Q एवं 351Q का



प्रयोग करते हुए साइट से निकाली गयी स्क्रेप सामग्री को भण्डार में जमा कराया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया **संलग्नक-3** पर अवस्थित है।



5.4 ऐसी किसी परिस्थिति, जिसमें प्रोजेक्ट (W.B.S.) ई0आर0पी0 पर नहीं बना है उसमें **संलग्नक-1/2/3** पर अवस्थित प्रक्रिया के अनुरूप ही Movement Type **351, Z61** एवं **Z52** का प्रयोग करते हुए अवशेष अप्रयुक्त नई सामग्री, साइट से निकली पुरानी उपयोगी सामग्री (Old & Used) एवं स्क्रेप को भण्डार में जमा कराया जाएगा।

## संलग्नक-1


कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त बची हुई नई सामग्री को विभाग में जमा कराये जाने की मानक प्रक्रिया :-


- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य निष्पादन उपरान्त बची अवशेष सामग्रियों को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के सक्षम अधिकारी/अधिकृत अभियन्ता द्वारा जमा करायी जाने वाली नवीन सामग्रियों का सत्यापित विवरण अधिशासी अभियन्ता, भण्डार खण्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिशासी अभियन्ता, भण्डार खण्ड से इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) प्राप्त किया जायेगा। भण्डार खण्ड से इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) प्राप्त किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड के सक्षम अधिकारी/अभियन्ता द्वारा सैप टी-कोड ME21N के माध्यम से प्राप्त इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) के आधार पर नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एस0टी0ओ0 (Stock Transfer Order) निर्मित किया जायेगा तथा प्रक्रिया पूर्ण कर STO/PO No. प्राप्त किया जायेगा।





2. सक्षम अधिकारी/अभियन्ता के द्वारा अवशेष बची नई सामग्री को ई0आर0पी0 प्रणाली पर सैप टी-कोड MIGO के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के साथ लेखांकित किया जायेगा।









- उपरोक्तानुसार प्रक्रिया सम्पादित किये जाने के उपरान्त अप्रयुक्त नई सामग्रियों को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने हेतु सैप टी-कोड ZMM2013 के माध्यम से गेट पास निर्गत किया जायेगा।





जायेगा। भण्डार खण्ड से इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) प्राप्त किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड के सक्षम अधिकारी/अभियन्ता द्वारा सैप टी-कोड ME21N के माध्यम से प्राप्त इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) के आधार पर नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एस0टी0ओ0 (Stock Transfer Order) निर्मित किया जायेगा तथा प्रक्रिया पूर्ण कर STO/PO No. प्राप्त किया जायेगा।





3. सक्षम अधिकारी/अभियन्ता द्वारा साइट से निकाली गयी पुनः प्रयोग में लिए जाने योग्य सामग्री (Old & Used) को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने हेतु ई0आर0पी0 प्रणाली पर सैप टी-कोड MIGO के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से लेखांकित किया जायेगा।







- उपरोक्तानुसार प्रक्रिया सम्पादित किये जाने के उपरान्त Old & Used सामग्रियों को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने हेतु सैप टी-कोड ZMM2013 के माध्यम से गेट पास निर्गत किया जायेगा।

## संलग्नक-3



प्रणाली सुदृढीकरण/विस्थापना कार्य, कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त कार्य स्थल से प्राप्त Scrap सामग्रियों को विभाग में जमा कराये जाने की मानक प्रक्रिया :-



- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान प्राकलन के अनुसार साइट से निकाली गयी स्क्रेप सामग्रियों को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने के क्रम में खण्ड के सक्षम अधिकारी/अधिकृत अभियन्ता द्वारा उक्त सामग्रियों को सैप पोर्टल पर MIGO के माध्यम से Movement Type-Z52 Q का प्रयोग करते हुए अधोवर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपनी स्टोरेज लोकेशन पर लाया जाएगा:-




- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान साइट से निकाली गयी स्क्रेप सामग्रियों को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के सक्षम अधिकारी/अधिकृत अभियन्ता द्वारा उक्त सामग्रियों का सत्यापित विवरण अधिशासी अभियन्ता, भण्डार खण्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिशासी अभियन्ता, भण्डार खण्ड से इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) प्राप्त किया जायेगा। भण्डार खण्ड से इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) प्राप्त किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड के सक्षम अधिकारी/अभियन्ता द्वारा सैप टी-कोड ME21N के


माध्यम से प्राप्त इन्डेन्ट (पी0आर0 नं0) के आधार पर नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एस0टी0ओ0 (Stock Transfer Order) निर्मित किया जायेगा तथा प्रक्रिया पूर्ण कर STO/PO No. प्राप्त किया जायेगा।





3. सक्षम अधिकारी/अभियन्ता द्वारा साइट से निकाली गयी स्क्रेप सामग्रियों को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने हेतु ई0आर0पी0 प्रणाली पर सैप टी-कोड MIGO के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से लेखांकित किया जायेगा।





- उपरोक्तानुसार प्रक्रिया सम्पादित किये जाने के उपरान्त स्क्रेप सामग्रियों को भण्डार खण्ड में जमा कराये जाने हेतु सैप टी-कोड ZMM2013 के माध्यम से गेट पास निर्गत किया जायेगा।

समाप्त